94/176 16429/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

652403

16 SEP 2010

व०को०अ०/कोषाधिकारी
आदर्श कोषागार लखनऊ
कलेक्ट्रेट, कोषागार लखनऊ

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–27
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.095 हेक्टेअर

महादेव

चन्द्रपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 SEP 2010

652404

कोषाधिकारी

कलेक्ट्रेट, कोषागार लखनऊ

7.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
8.	बोरिंग/कुआ/अन्य	:	नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 9,38,125/-
10.	मालियत	:	रू0 2,85,000/-
11.	स्टाम्प	:	रू0 65,750/-

चौहद्दी

खसरा न0 27

पूरब	: खसरा संख्या-77
पश्चिम	: खसरा संख्या-28
उत्तर	: खसरा संख्या-26
दक्षिण	: खसरा संख्या-48

चन्द्रपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

652405

16 SEP 2010

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
महादेव पुत्र डींगुर निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	चन्द्रपाल पुत्र श्री मेवालाल, निवासी –ग्राम– कोटिया, थाना–मलवा, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 । व्यवसाय – कृषि

महादेव

चन्द्रपाल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 355743

18 SEP 2014

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख महादेव पुत्र डींगुर निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् चन्द्रपाल पुत्र श्री मेवालाल, निवासी –ग्राम– कोटिया, थाना–मलवा, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

महादेव चन्द्रपाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 389593

23 AUG 2010

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–27 रकबा 0.190 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.095 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम–हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00162 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेता को विरासत में मिली है विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 193332

07 SEP 2010

जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवीं या अनुबन्धित इत्यादि नही किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न हीं कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 193333

07 SEP 2010

भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 9,38,125/– (रूपया नौ लाख अड़तीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 985037

हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र

स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगा। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

महादेव

चन्द्रपाल

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठ ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 30,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.095 हेक्टेअर की मालियत रू0 2,85,000/– होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 65,750/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "**विक्रेता**" एवं "**क्रेता**" में, जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–27 रकबा 0.190 हेक्टेअर का 1/2 भाग यानि रकबा 0.095 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ,।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

विक्रेता को रू0 9,38,125/– (रूपया नौ लाख अड़तीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–292584 दिनांकित 24.09.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 9,38,125/– (रूपया नौ लाख अड़तीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से

विक्रय पत्र

938,125.00/	285,000.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री महादेव

पुत्र श्री डींगुर

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर,लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/9/2010 समय 5:07PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
24/9/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री महादेव
पुत्र श्री डींगुर
पेशा कृषि
निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर,लखनऊ

क्रेता

श्री चन्द्रपाल
पुत्र श्री मेवालाल
पेशा कृषि
निवासी ग्राम कोटिया थाना मलवा जिला फतेहपुर

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री अमरनाथ मिश्रा

पुत्र श्री दिवाकर नाथ मिश्रा

पेशा नौकरी

निवासी मदन मोहन मालवीय मार्ग,लखनऊ

व श्री सन्तोष कुमार निगम

पुत्र श्री राम गोविन्द

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर,लखनऊ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के.द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
24/9/2010

प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लखनऊ
दिनांक: 24.09.2010

गवाह

1. Amr
अमरनाथ मिश्र पु० प्रेमनाथ [illegible]
मदन मोहन मालवीय मार्ग.
लखनऊ

महादेव

विक्रेता

2. सन्तोष कुमार निगम पु० राम गोविन्द
नि० व डा० - हसनपुर खेवली - लखनऊ

चन्द्रपाल

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
यूनीवर्सल काम्पलेक्स
निबन्धन भवन के सामने, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(मयंक श्रीवास्तव)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No.: 16429 Year : 2,010 Book No. : 1

0101 महादेव

डींगुर

ग्राम हसनपुर खेवली पर.बिजनौर,लखनऊ

कृषि

नक्शा नजरी

खसरा सं0 27

ग्राम हसनपुर कोलनी

विक्रेता महादेव

क्रेता चन्द्रपाल

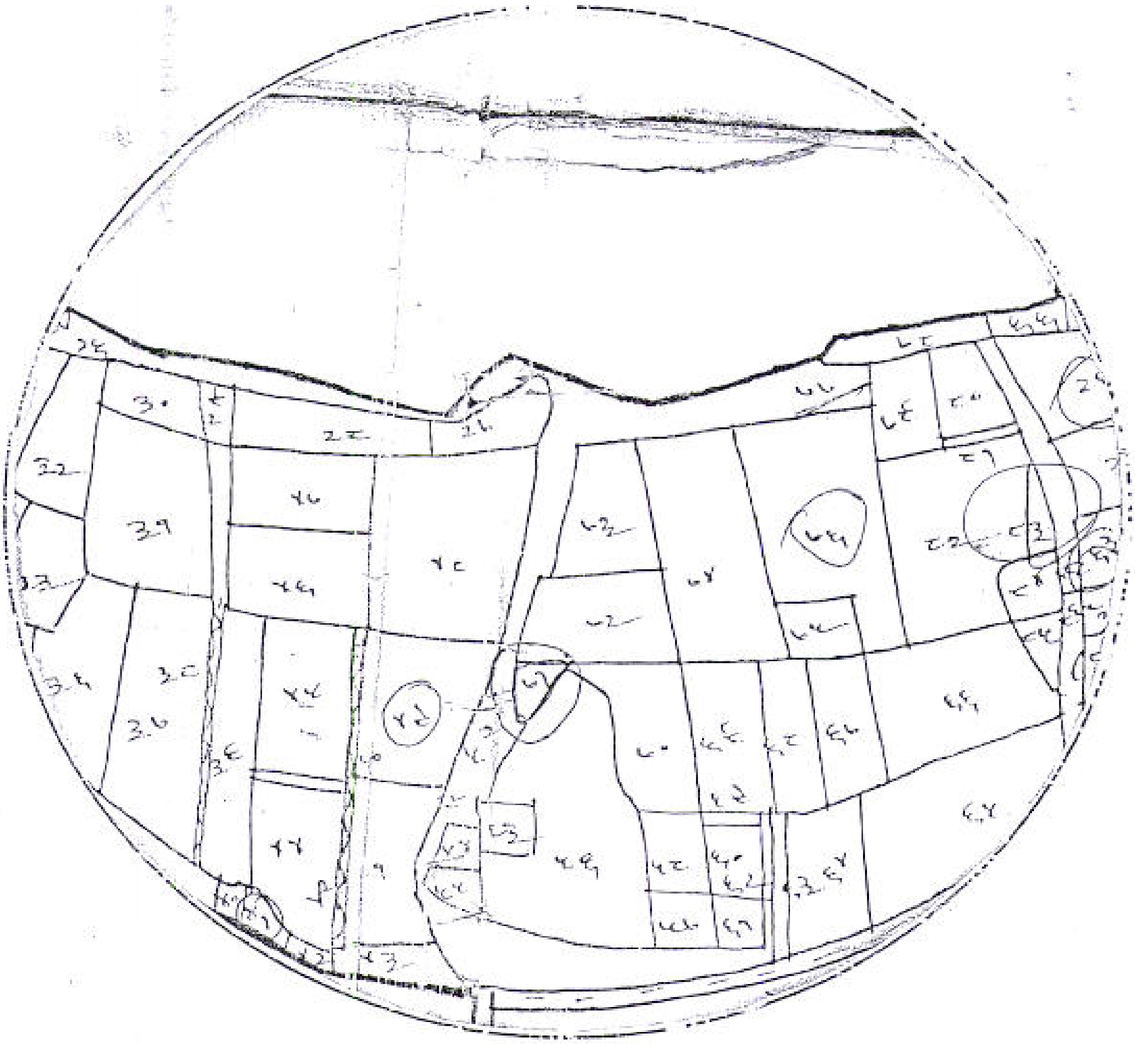

विक्रेता महादेव

चन्द्रपाल
क्रेता

क्रेता

Registration No. : 16429 Year : 2,010 Book No. : 1

0201 चन्द्रपाल

मेवालाल

ग्राम कोटिया थाना मलवा जिला फतेहपुर

कृषि

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

विक्रेता का नाम व पता:- महादेव पुत्र डींगुर निवासी–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

महादेव
विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता- चन्द्रपाल पुत्र श्री मेवालाल, निवासी –ग्राम– कोटिया, थाना–मलवा, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

चन्द्रपाल
क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 24/09/2010 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 11993

पृष्ठ सं. 331 से 358 पर क्रमांक 16429

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी .के.द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

24/9/2010